XIV-Form No. 563

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| | 2 |
| 02.09.2011 | **समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय**<br>**बासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद सं0– 04 / 2010**<br>**धारा 21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अंतर्गत**<br>मो0 फजलुर रहमान, पिता–स्व0 रमजान अली, साकिन–सिंधिया थाथोल, थाना –डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक<br>**बनाम**<br>मो0 हासीम, पिता–स्व0 नूर मोहम्मद, साकिन–सिंधिया थाथोल, थाना– डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी<br>**आदेश**<br>आवेदक, अंचलाधिकारी, डगरूआ द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–30 / 1992–93 में पारित आदेश द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द करने हेतु यह पुनरीक्षण वाद प्रारम्भ किया है। मौजा–थाथोल, थाना नं0–432, खाता संख्या 145, खेसरा संख्या–629, रकवा–5 डिसमिल, खेसरा संख्या–635, रकवा 4 डिसमिल, खेसरा संख्या–636, रकवा–6 डिसमिल कुल रकवा–15 डिसमिल आवेदक के पिता रमजान अली के नाम दर्ज है। विपक्षी ने उपरोक्त जमीन का खाता संख्या–145, खेसरा संख्या–629 एवं 635, रकवा–9 डिसमिल जमीन का पर्चा गलत ढ़ंग से बनवा लिया है। आवेदक गरीब है, जबकि विपक्षी एक धनी व्यक्ति है, जिनके पास खेती के लिये 8 एकड़ एवं बसोवास के लिये 18 डिसमिल जमीन है, जो प्रश्नगत जमीन के सीमा से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत भी नहीं है। इस संबंध में आवेदक ने मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को एवं मुख्यमंत्री महोदय के शिविर द्वारा जिला शिकायत कोषांग में आवेदन दिया गया, जिसे जिला पदाधिकारी के पास उचित कार्रवाई हेतु भेजा गया। इस क्रम में अंचलाधिकारी द्वारा भी जाँच किया गया और प्रश्नगत जमीन पर आवेदक का घर एवं बारी झाड़ी देखा गया।<br>अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।<br>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 15.04.2011 को सुनवाई किया गया। विपक्षी के द्वारा हाजरी देने के बाबजूद भी न्यायालय में पुकार पर अनुपस्थित रहे। इसके पूर्व भी लगातार कई तिथियों में वे हाजरी देने के बाबजूद भी अनुपस्थित थे। इस कारण से दिनांक 28.03.2011 को इस न्यायालय द्वारा विपक्षी को न्यायालय में स्वंय उपस्थित रहने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी। इसके बाबजूद भी न्यायालय में स्वंय उपस्थित रहना विपक्षी ने उचित नहीं समझा।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के क्रम में बताया गया कि अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि विवादित जमीन में उनका |

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

दखल--कब्जा है। इस कारण से निम्न न्यायालय का आदेष को खारिज [illegible] हुए निर्गत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

पुनः दिनांक 02.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकन [illegible] सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेष [illegible] दखल–कब्जा के आधार पर नहीं है। पर्चाधारी का पर्चा की जमीन में [illegible] नहीं होना एक गंभीर विशय है। इससे स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय [illegible] पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इस कारण से आवेदक के आवेदन [illegible] स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है [illegible] विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। [illegible] निर्णय के साथ यह वाद समाप्त किया जाता है।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ